UPLP010010792019

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, लखीमपुर–खीरी
उपस्थितः मनोज कुमार सिंह–द्वितीय (एच०जे०एस०)

एस०टी०सं०–61/2019
रजि नं०–61/2019
CNR No UPLP01–001079–2019

राज्य उ०प्र०. ---------- अभियोजन पक्ष।

बनाम

हासिम उर्फ मामा पुत्र हसमत अली निवासी महेवागंज, थाना कोतवाली सदर, जिला लखीमपुर खीरी।

----------- अभियुक्त।

मु०अ०सं०–1322/2018
धारा–411, 413, 414, 379 भा०दं०सं०
थाना–कोतवाली सदर, जिला–खीरी।

<u>निर्णय</u>

1– प्रस्तुत मामले का विचारण थाना कोतवाली सदर, जिला लखीमपुर खीरी की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०–1322/2018 में अभियुक्त हासिम उर्फ मामा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–411, 413, 414, 379 भा०दं०सं० में प्रस्तुत आरोप पत्र पर किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि आज दिनांक 9/11/18 को वह अवधेश कुमार यादव मय हमराही कां० नीरज तिवारी, कां० प्रदीप गंगवार के देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारंटी व अपराधी में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की मोटर साइकिल लेकर लखीमपुर से निघासन रोड से भीरा रोड पर जाने वाला है जिसके पास नाजायज तमंचा भी है, अगर जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। वे सभी पुलिस वाले पूर्व से तैनात सैंधरी बाइपास मोड पर मुखबिर की सूचना को विश्वास कर के गवाही गवाहान तलाशना चाहा तो जनता का कोई गवाह नहीं मिला। वे पुलिस वाले एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर यह विश्वास किये कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है तथा मुखबिर को साथ लेकर सैंधरी बाइपास पर आने वाले व्यक्ति का इन्तजार करने लगे कि एक व्यक्ति लखीमपुर की तरफ से आता दिखाई दिया जिस पर टार्चों की रोशनी पड़ने पर मुखबिर ने पहचान कर बताया कि यही यह व्यक्ति है, मुखबिर पीछे मुड़ कर चला गया तथा उस व्यक्ति को वे पुलिस वाले रोकने का इशारा किया तो वह व्यक्ति जल्दी से मोटर साइकिल खड़ी करके घबराकर मोटर साइकिल से उतरना चाहा कि वे पुलिस वाले उस व्यक्ति को घेरघार कर पकड़ लिया। पकडे हुए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम हासिम उर्फ मामा पुत्र हसमत बताया, जामा तालाशी से उसके पास से एक अदद मोटर साइकिल बरामद हुई जिसकी हुलिया रंग काला लाल हीरो सुपर स्पलेण्डर जिसका नम्बर

नहीं लगा है जिसका चेचिस नम्बर MBLJA05EMF9E09148 तथा इंजन नम्बर JA05ECF9E06351 अंकित है तथा पहने पेंट की दाहिनी फेट एक अदद तमचा 315 बोर नाजायज तथा बायी जेब से दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ तथा नाल को खोलने के लिए लोहे का लिवर लगा चालू हालत में पाया गया। पकडे गये व्यक्ति से तमंचा व कारतूस रखने का अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा तथा बरामदशुदा मोटर माइकिल के बारे में पूछने पर बताया कि उसने यह मोटर साइकिल लखीमपुर से चुराया था तथा इसे बेचने के लिए नेपाल ले जा रहा था। इसी तरह से वह अपनी जीविका चलाता है चूंकि यह कृत्य थारा 41/411/413/414 आई०पी०सी० व 3/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त को उसके अपराधों से अवगत कराते हुए बरामदशुदा मोटर साइकिल व तमंचा कारतूस को कब्जे पुलिस में लेकर मौके पर ही तमंचा कारतूस को एक सफेद कपडे में रखकर शील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार कर मोटर साइकिल पर चिटबन्दी कर गिरफ्तारी मेमो तैयार कर समय करीब 20.35 बजे कब्जे पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग व उच्चतम न्यायालय के आदेशो का पालन किया गया। फर्द मौके पर टार्चो की रोशनी में लिखकर पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहान व अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये जा रहे है गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के घर वालो को अकब से दी जायगी। फर्द की कार्बन प्रति अभियुक्त को दी गयी।

3– वादी मुकदमा द्वारा दी गयी फर्द बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 09–11–2018 समय 22:31 बजे अभियुक्त हासिम उर्फ मामा के विरूद्ध मु०अ०सं०–1322/2018 अन्तर्गत धारा–41/411,413,414 भा०दं०सं० में मामला पंजीकृत किया गया।

4– विवेचक द्वारा दौरान विवेचना नकल तहरीर, नकल रपट, प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक का बयान अंकित करने के पश्चात् वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयानात अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित करने के पश्चात वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए नक्शा नजरी तैयार किया गया। विवेचनोपरान्त प्राप्त किये गये साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्त हासिम उर्फ मामा के विरूद्ध मु०अ०सं०–1322/2018 में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–411,413,414,379 भा०दं०सं० के अन्तर्गत विचारण हेतु सक्षम न्यायालय प्रेषित किया गया।

5– उक्त आरोप पत्र पर दिनांक 10–12–2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामला अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय पाते हुए दिनांक 18–01–2019 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी, जिसे सत्र परीक्षण सं०–61/2019 के रूप में दर्ज किया गया।

6– न्यायालय द्वारा दिनांक 28–10–2025 को मु०अ०सं०–1322/2018 अन्तर्गत धारा 379,411,413,414 भा०दं०सं० में अभियुक्त हासिम

उर्फ मामा के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। विरचित आरोप को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध विरचित आरोप से इंकार करते हुए विचारण की मांग की।

7— अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये।

मौखिक साक्ष्य—

1. पी०डब्लू०—1 वादी/उ०नि० अवधेश कुमार यादव
2. पी०डब्लू०—2 निरीक्षक पारस नाथ यादव
3. पी०डब्लू०—3 हे०कां० संदीप कुमार
4. पी०डब्लू०—4 बबलू

8— अभियोजन की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्र साबित कराये गये।

प्रलेखीय साक्ष्य—

1. प्रदर्श क—1 फर्द बरामदगी
2. प्रदर्श क—2 नक्शा नजरी
3. प्रदर्श क—3 फर्द बरामदगी की नक्शा नजरी
4. प्रदर्श क—4 आरोप पत्र
5. प्रदर्श क—5 प्रथम सूचना रिपोर्ट
6. प्रदर्श क—6 कायमी जी०डी०
7. प्रदर्श क—7 तहरीर द्वारा बबलू

9— अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक 25—02—2026 को अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया। उसके पश्चात पुनः साक्षी पी०डब्लू०—4 को तलब कर उसका साक्ष्य अंकित कराया गया।

10— अभियोजन साक्ष्य सम्पन्न होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा—313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान में अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा साक्षी पी०डब्लू०—1 के बयान के सम्बन्ध में कथन किया कि गलत है, दिखायी गयी बरामदगी भी झूंठी है तथा साक्षी पी०डब्लू०—2 के बयान के सम्बन्ध में कथन किया कि गलत है, विवेचना त्रुटिपूर्ण तरीके से हुई है, गलत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है व साक्षी पी०डब्लू०—3 के बयान के सम्बन्ध किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दबाव में दर्ज की गयी। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध मुकदमा रंजिशन चलने का कथन किया है तथा अतिरिक्त कथन में कुछ नहीं कहने का कथन किया है। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया है।

11— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रा०पत्र ख 5 स्वीकृत होने पर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियोजन द्वारा साक्षी पी०डब्लू०—4 के रूप में बबलू को पत्रावली पर प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया। उसके उपरान्त अभियुक्त का अतिरिक्त बयान अं०धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 30—06—2026 को अंकित किया गया जिसमें

अभियुक्त ने साक्षी पी०डब्लू०–4 के बयान के सम्बन्ध में कथन किया है कि उक्त चोरी की कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, न ही पी०डब्लू०–4 ने मोटर साइकिल चुराते हुए देखा। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध मुकदमा रंजिशन चलने का कथन किया है तथा अतिरिक्त कथन में कुछ नहीं कहने का कथन किया है। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया है।

12– अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है। अभियोजन के सभी गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और अभियोजन प्रपत्रों की वैधानिकता को साबित किया। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

13– बचावपक्ष की ओर से यह कथन किया गया कि अभियोजन के गवाहों के बयान में विभिन्न विसंगतिया है। अभियोजन के किसी भी साक्षी के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा वाहन स्वामी बबलू की मोटर साइकिल संख्या UP31AJ–6720 को चोरी किया तथा चुराई हुई जानते हुए उसे बेईमानी से प्राप्त किया तथा चुराई हुई मोटर साइकिल का अभ्यासतः व्यापार किया। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

14– अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

15– मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित विनिश्चयात्मक बिन्दु विरचित किये गये–

1. क्या दिनांक 05–11–2018 को किसी समय बहद स्थान मेला मैदान बस अड्डा लखीमपुर खीरी, थाना कोतवाली सदर, जिला खीरी में अभियुक्त ने वाहन स्वामी बबलू की मोटर साइकिल संख्या UP31AJ–6720 को चोरी किया और चोरी की मोटर साइकिल जानते हुए उसे बेईमानी से प्राप्त किया?

2. क्या दिनांक 05–11–2018 को किसी समय बहद स्थान मेला मैदान बस अड्डा लखीमपुर खीरी, थाना कोतवाली सदर, जिला खीरी में अभियुक्त ने वाहन स्वामी बबलू की मोटर साइकिल संख्या UP31AJ–6720 को चुराई हुई जानते हुए अभ्यासतः उसका व्यापार किया। इसके अतिरिक्त चुराई हुई मोटर साइकिल का व्ययनित करने में स्वेच्छया सहायता की जिसके सम्बन्ध में उसको यह विश्वास था कि यह चुराई हुई सम्पत्ति है?

16– आपराधिक मामले में विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अभियुक्त के विरूद्व विरचित आरोप में दोषसिद्ध करने हेतु आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है।

17– **<u>निस्तारण विनिश्चयात्मक बिन्दु सं0–1 व 2</u>**

विनिश्चयात्मक बिन्दु सं0–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या क्या दिनांक 05–11–2018 को किसी समय बहद स्थान मेला मैदान बस अड्डा

लखीमपुर खीरी, थाना कोतवाली सदर, जिला खीरी में अभियुक्त ने वाहन स्वामी बबलू की मोटर साइकिल संख्या UP31AJ–6720 को चोरी किया और चोरी की मोटर साइकिल जानते हुए उसे बेईमानी से प्राप्त किया?

विनिश्चयात्मक बिन्दु सं0–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या क्या दिनांक 05–11–2018 को किसी समय बहद स्थान मेला मैदान बस अड्डा लखीमपुर खीरी, थाना कोतवाली सदर, जिला खीरी में अभियुक्त ने वाहन स्वामी बबलू की मोटर साइकिल संख्या UP31AJ–6720 को चुराई हुई जानते हुए अभ्यासतः उसका व्यापार किया। इसके अतिरिक्त चुराई हुई मोटर साइकिल का व्ययनित करने में स्वेच्छया सहायता की जिसके सम्बन्ध में उसको यह विश्वास था कि यह चुराई हुई सम्पत्ति है?

18– सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विनिश्चयात्मक बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

19– अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में कुल–04 गवाह प्रस्तुत किये गये है।

20– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा/ उ०नि० अवधेश कुमार यादव द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में बहलफ कथन किया गया है कि दिनांक 09–11–2018 को वह थाना कोतवाली सदर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। इस दिन वह उपनिरीक्षक हमराही कां० नीरज तिवारी व प्रदीप गंगवार के साथ तलाश वांछित वारन्टी में मामूर था, जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की मोटर साइकिल लखीमपुर से निघासन रोड से भीरा रोड पर ले जाने वाला है तब वे सब पुलिस वाले सैंधरी बाईपास मोड पर गवाहान की तलाश की तथा एक दूसरे की जामा तलाशी ली गयी। उन पुलिस वालों के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं थी तभी एक व्यक्ति लखीमपुर की तरफ से आता हुआ दिखायी दिया। टार्च की रोशनी की गयी, मुखबिर ने कहा कि यही वह व्यक्ति है। उन पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को रोकने का इशारा किया। तब वह व्यक्ति घबराकर मोटर साइकिल से उतरना चाहा तब उन लोगों ने घेरकर पकड़ लिया। नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम हासिम उर्फ मामा पुत्र हसमत बताया। उसके पास से एक मोटर साइकिल बरामद हुई। जिसका हुलिया रंग काला लाल हीरो सुपर स्पलेण्डर जिस पर नम्बर प्लेट नहीं थी। जामा तलाशी में उसकी दाहिनी फेंट से लगा हुआ नाजायज तमंचा 315 बोर तथा बायी जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। तमंचा चालू हालत में पायी गयी। बरामदशुदा मोटर साइकिल के बारे में पूछने पर बताया कि उसने यह मोटर साइकिल लखीमपुर से चुराई थी तथा उसे बेचने के लिए नेपाल लिये जा रहा था। इसी तरह से अपनी जीविका चलाता है। अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराया गया तथा बरामदशुदा मोटर साइकिल व तमंचा कब्जे में लेकर एक कपड़े में सर्व सीलमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा मोटर साइकिल पर चिटबन्दी कर गिरफ्तारी मेमो तैयार कर समय करीब 20:35 बजे कब्जा पुलिस में लेकर फर्द मौके पर तैयार की गयी। शामिल पत्रावली फर्द बरामदगी कागज सं०–क 4/3 उसके लेख व हस्ताक्षर में है तथा उस पर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर बने हुए है जिस पर

प्रदर्श क–1 डाला गया है। विवेचक ने उसका बयान लिया था। उसकी निशानदेही पर बरामदगी स्थल का नक्शानजरी बनाया था।

21– जिरह में उक्त साक्षी का कथन है कि साक्षी को गिरफ्तार करते समय रवानगी की जी०डी० उसने पत्रावली में साक्ष्य के रूप में नहीं दी है। रवानगी चौकी इंचार्ज होने के नाते चलती रहती है। रवानगी जी०डी० साक्ष्य के रूप में दाखिल नहीं की है क्योंकि इसमें कारण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह घटना स्थल पर पूर्व से मौजूद था, कितने समय पूर्व से घटना स्थल पर था, इतना उसे याद नहीं है। घटना दिनांक 09–11–2018 को अभियुक्त को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की थी। अभियुक्त को उसने 20:35 बजे गिरफ्तार किया था। यह बात उसने अपने फर्द में अपने हस्तलेख में अंकित किया था। फर्द पर घटना का समय उसी समय अंकित किया गया। पेन की इंक में यदि कोई विविधता हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता है। घटना स्थल पर जब उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तो कोई व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं था। घटना स्थल पर वह नक्शा नजरी बनवाने दोबारा गया था, किस दिन व किस समय गया था, उसे इस समय याद नहीं है। उसने विवेचक को यह बताया था कि मुल्जिम किधर से और किधर को भागा था। फिर कहा अभियुक्त घटना स्थल से भागा नहीं था, भागने का प्रयास कर रहा था। घटना स्थल पर जहां से अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, वहां पर किसी की दुकान रही हो, ऐसा उसे याद नहीं है। जिस मोटर साइकिल को उसने अभियुक्त से बरामद किया था उसकी चोरी की एफ०आई०आर० उसके पास उस समय नहीं थी। अभियुक्त को भागने का अवसर नहीं दिया था। वह अभियुक्त को पूर्व से जानता व पहचानता नहीं था। उसे यह ध्यान नहीं है कि अभियुक्त पर पहले से कोई मुकदमा दर्ज रहा हो। अभियुक्त के पास से बरामद मोटर साइकिल को एक सिपाही लेकर आया था, यह याद नहीं है। अभियुक्त के घर पर उसने किसी को भेजा था, जिसको भेजा था, नाम याद नहीं है। अभियुक्त के पास अन्य कोई व्यक्ति नहीं था।

22– इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–1 जो कि प्रस्तुत प्रकरण का वादी मुकदमा है, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया है कि उसे अभियुक्त के कथित स्थान पर चोरी के सामान के साथ जाने की सूचना किससे मिली और मौके पर पहुँच कर उन्होंने स्वतंत्र गवाह ढूंढने की कोशिश की परन्तु उन्हें कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिले। इसके अलावा उन सभी पुलिसकर्मियों ने आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ली और यह सुनिश्चित किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। घटना स्थल पर अभियुक्त किधर से आता हुआ दिखायी दिया और किस रोशनी में मुखबिर द्वारा उसकी पहचान की गयी, यह स्पष्ट रूप से बताया है। मौके पर अभियुक्त को रोकने पर वह घबराकर मोटर साइकिल से उतरना चाहा तो पुलिस वालों ने उसे घेरघार कर पकड़ लिया और उसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम व पता बताया तथा उसके पास से माल मुकदमाती मोटर साइकिल बरामद हुई, यह भी स्पष्ट रूप से बताया है। मुख्य परीक्षा में साक्षी ने माल मुकदमाती मोटर साइकिल का इंजन नंबर, चेचिस नंबर, वाहन का रंग भी स्पष्ट रूप से बताया है। बरामदशुदा मोटर साइकिल चोरी की होना

अभियुक्त ने उसे बताया, वाहन पर कोई नम्बर प्लेट नहीं थी, यह भी स्पष्ट रूप से बताया है। माल मुकदमा मौके पर सील मोहर कर अन्य आवश्यक कार्यवाही करके फर्द तैयार करने तथा फर्द पर सभी सम्बन्धित लोगों के हस्ताक्षर कराये जाने, विवेचक द्वारा उसके बयान लिये जाने तथा उसकी निशानदेही पर विवेचक द्वारा नक्शा नजरी बनाये जाने की पुष्टि की है। जिरह में उक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह घटना स्थल पर पूर्व से मौजूद था। अभियुक्त को उसने कितने बजे गिरफ्तार किया तथा गिरफ्तारी का समय फर्द में अपने हस्तलेख में अंकित किया, यह स्पष्ट रूप से बताया है। घटना स्थल पर नक्शा नजरी बनवाने के लिए वह दोबारा गया था, यह भी स्पष्ट रूप से बताया है। मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह गवाही देने को तैयार नहीं हुआ, यह भी स्पष्ट रूप से बताया है। अभियुक्त घटना स्थल से भागा नहीं था बल्कि भागने का प्रयास कर रहा था, यह भी स्पष्ट रूप से बताया है। इस प्रकार उक्त गवाह के साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है।

23– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 निरीक्षक पारसनाथ यादव द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 10.11.2018 को वह थाना कोतवाली सदर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। इस दिन पर्चा नं०–1 में नकल फर्द बरामदगी एक अदद मोटर साइकिल व एक अदद तंमचा 315 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व गिरफ्तारी एक नफर अभियुक्त की नकल केस डायरी की गयी तत्पश्चात नकल कायमी की नकल कर संलग्न केस डायरी किया गया। तत्पश्चात बयान लेखक एफ०आई०आर०, कास्टेबल संदीप कुमार अंकित किये, तत्पश्चात गिरफ्तार अभियुक्त हासिम उर्फ मामा के बयान अंकित किये। दिनांक 14.11.2018 में पर्चा नं० 2 में बयान वादी उपनिरीक्षक अवधेश कुमार यादव अंकित किये तत्पश्चात बयान गवाह फर्द कास्टेबल नीरज तिवारी व बयान गवाह कास्टेबल प्रदीप गंगवार अंकित किये। तत्पश्चात वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। शामिल पत्रावली नक्शा नजरी कागज सं० क 5 उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। दिनांक 16.11.2018 को पर्चा नं० 3 में बरामद मोटर साइकिल की ए०आर० टी०ओ० आख्या प्राप्त हुई। अवलोकन कर नकल कर संलग्न केस डायरी की गयी। दिनांक 19.11.2018 पर्चा न. 4 में बरामद मोटर साइकिल के पंजीकृत स्वामी की तहरीर की नकल कर संलग्न केस डायरी किया गया। तत्पश्चात बयान वाहन स्वामी बबलू पुत्र सुन्दर लाल अंकित किये गये। दिनांक 23.11.2018 को पर्चा नं० 5 में अभियुक्त की रिमाण्ड की याचना की गयी। अभियोग में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 379 आईपीसी की बढ़ोत्तरी की गयी तथा वारण्ट पर धारा 379 आईपीसी बढाये जाने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात वाहन स्वामी बरामद मोटर साइकिल के चोरी हो जाने के स्थल का निरीक्षण वाहन स्वामी की निशानदेही पर किया गया। शामिल पत्रावली नक्शा नजरी कागज सं० क 6 उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क 3 डाला गया। अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी बयान गवाहन निरीक्षण घटनास्थल आदि के आधार पर अभियुक्त हासिम उर्फ मामा पुत्र हसमत के विरूद्ध धारा 379, 411, 413,

414 आईपीसी का अपराध बखूबी साबित होने पर अभियुक्त का चालान जरिए आरोप पत्र सं. 811/2018 न्यायालय प्रेषित किया गया। शामिल पत्रावली कम्पूयटरीकृत मूल आरोप पत्र कागज सं. क 3/1 लगायत क 3/5 जिस पर सी.जे.एम खीरी का आदेश अंकित है व उनके हस्ताक्षर बने हुए है। इस पर प्रदर्श क 4 डाला गया है।

24– जिरह में उक्त साक्षी का कथन है कि उसके द्वारा विवेचना दिनांक 10.11.2018 को ग्रहण की गयी। उसके द्वारा पहला नक्शा दिनांक 11.11.2018 को बनाया गया। द्वितीय नक्शा नजरी उसके द्वारा कब बनाया गया ये उसे ध्यान नहीं है, पर्चे में लिखा है, लास्ट पर्चे पर लिखा होगा, पर्चा नंबर ध्यान नहीं है। नक्शानजरी पर कोई दिनांक अंकित हो तो उसे याद नहीं है, यदि नहीं हो तो सहवन छुट गया होगा। नक्शानजरी में उसने पुलिस किस दिशा से आयी यह अंकित नहीं किया है। अभियुक्त फर्द बरामदगी व बयान वादी मुकद्दमा के अनुसार मौके पर ही गिरफ्तार हो गया था। अभियुक्त भागा ही नहीं था। अभियुक्त को आने जाने वाले आम रास्ते से गिरफ्तार किया गया था। तत्समय मौके पर पान के एक, दो खोखे हुआ करते थे जो कि शाम को बंद हो जाया करते थे। 2018 मे गिरफ्तारी स्थल पर कुछ दूरी पर पक्की दुकाने थी। बरामदगी के संबंध में स्वतन्त्र साक्षी तलाश किया गया था पर कोई तैयार नहीं हुआ था। उसके द्वारा विवेचना के समय स्वतन्त्र साक्षी के रूप में किस किस से बात की गयी थी, ध्यान में नहीं है और किसी पर्चे में भी इसका उल्लेख है या नहीं, उसे याद नहीं है। नक्शा नजरी द्वितीय में अभियुक्त के आने व जाने का कोई निशान नहीं दर्शाया गया है, क्योकि अभियुक्त को वाहन स्वामी ने मोटर साइकिल चोरी करते हुए देखा नहीं था। जिस स्थान से मोटर साइकिल चोरी हुई है उस स्थान पर भी किसी स्वतन्त्र साक्षी जिसने घटना होते हुए देखी हो, का बयान नहीं लिया गया। वादी मुकदमा अवधेश कुमार यादव की रवानगी जी. डी. दौरान विवेचना पत्रावली में दाखिल किया हो, याद नहीं है। वादी मुकदमा को अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उसने नहीं देखा।

25– इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–2 जो कि प्रस्तुत मामले का विवेचक है, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया है कि उसने विवेचना के दौरान किन किन पर्चों के अन्तर्गत क्या क्या कार्यवाही की। अभियोजन प्रपत्रों की नकल करने तथा आवश्यक गवाहान व अन्य लोगों के बयान अंकित करने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कथन किया है और यह भी बताया है कि वादी की निशानदेही पर उसने नक्शा नजरी बनाया था। माल मुकदमाती मोटर साइकिल की ए०आर०टी०ओ० द्वारा आख्या मंगाये जाने तथा 19–11–18 को माल मुकदमाती मोटर साइकिल के पंजीकृत स्वामी की तहरीर की नकल सी०डी० में अंकित करने को स्पष्ट रूप से बताया है और उसी तहरीर के आधार पर मुकदमें में चोरी की धारा बढ़ाये जाने को भी स्पष्ट रूप से बताया है। मोटर साइकिल चोरी होने के स्थल का निरीक्षण वाहन स्वामी की निशानदेही को करने को भी स्पष्ट रूप से बताया है। तमामी विवेचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध साबित होने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये जाने को भी स्पष्ट रूप से बताया है। जिरह में उक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उसे विवेचना कब मिली और उसने

पहला नक्शा कब बनाया। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त मौके पर ही गिरफ्तार हो गया था, यह भी स्पष्ट रूप से बताया है। बरामदगी के सम्बन्ध में स्वतंत्र साक्षी तलाश किया गया पर कोई तैयार नहीं हुआ, यह भी स्पष्ट रूप से बताया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान से अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है।

26– अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–3 हे०कां० संदीप कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 09–11–2018 को वह थाना कोतवाली सदर में कां० क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा उ०नि० अवधेश कुमार यादव की फर्द बरामदगी के आधार पर तथा प्रभारी निरीक्षक के मौखिक आदेश पर मु०अ०सं० 1322/2018 धारा–41, 411, 413, 414 भा०दं०सं० की चिक कम्प्यूटर आपरेटर से बोल बोलकर अक्षरशः किता करायी थी। शामिल पत्रावली कम्प्यूटरीकृत मूल चिक जिस पर प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर व थाने की मुहर लगी हुई है जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया है। जी०डी० नम्बर 50 समय 22:31 दिनांकित 09–11–2018 की कायमी उसके द्वारा कम्प्यूटर पर करायी गयी। शामिल पत्रावली कम्प्यूटरीकृत कायमी जी०डी० जिस पर उसके हस्ताक्षर व थाने की मुहर लगी हुई है, इस पर प्रदर्श क–6 डाला गया है, विवेचक ने उसका बयान लिया था।

27– जिरह में उक्त साक्षी का कथन है कि कायमी जी०डी० रोजनामचा सं० 50 दिनांकित 09–11–2018 उसने बोल बोलकर लिखवायी थी। अभियुक्त को हवालात में दाखिल करते समय अभियुक्त के पास कुछ नहीं था। फर्द की प्रति अभियुक्त के पास नहीं थी। एफ०आई०आर० व जी०डी० एक ही साथ सम्पादित की थी। अभियुक्त से कोई भी बरामदगी उसके समक्ष नहीं हुई थी। उसने तलाशी ली थी, तब अभियुक्त के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। एफ०आई०आर० एवं कायमी के अलावा उसके द्वारा अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। एफ०आई०आर० उसने प्रभारी महोदय के मौखिक आदेश पर दर्ज करायी थी। यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा के दबाव के आधार पर उक्त एफ०आई०आर० दर्ज की हो। यह भी कहना गलत है कि उसके गलत एफ०आई०आर० दर्ज करने के कारण अभियुक्त पर झूंठा मुकदमा चला हो।

28– इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–3 चिक लेखक ने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया है कि उसने फर्द बरामदगी के आधार पर तथा प्रभारी निरीक्षक के मौखिक आदेश पर चिक कम्प्यूटर आपरेटर से बोल बोलकर अक्षरशः किता करायी। जिरह में भी उक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि एफ०आई०आर० उसने किसके आदेश पर दर्ज की थी और किस तारीख को कायमी जी०डी० उसने बोल बोलकर लिखवायी थी। इस प्रकार उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन पक्ष का समर्थन होता है।

29– न्यायालय के आदेश दिनांक 22–05–2026 के अनुपालन में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०–4 बबलू द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि उसकी मोटर साइकिल का नम्बर जिसका रजि०संख्या UP31AJ/6720 है। उसकी मोटर साइकिल दिनांक 05–11–2018 को लखीमपुर

मेला मैदान बस अड्डा से चोरी हो गयी थी जिसकी उसने खोजबीन की थी परन्तु वह नहीं मिली थी। उसने अपनी मोटर साइकिल की चोरी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली में प्रा०पत्र दिया था लेकिन उसका मुकदमा नहीं लिखा गया था। फिर बाद में उसे पता चला था कि उसकी मोटर साइकिल मिल गयी है जो थाना कोतवाली लखीमपुर में खड़ी है, जिसको उसने अदालत से रिलीज करा लिया था। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। उसने उनको सारी बात बता दी थी। साक्षी को शामिल पत्रावली प्रा०पत्र दिखाया गया जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही प्रा०पत्र है जिसे उसने थाना कोतवाली सदर लखीमपुर में दिया था, इस पर उसके हस्ताक्षर बने हुए है जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया।

30– अभियुक्त अधिवक्ता विद्वान निजम प्रज्ञात शुक्ला डिप्टी चीफ एल०ए०डी०सी० द्वारा की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि उसकी एफ०आई०आर० लिखी गयी थी, थाना फूलबेहड़ में लिखी गयी थी जो अब शारदानगर थाना में है। एफ०आई०आर० नम्बर याद नहीं है और न ही कोई प्रति प्राप्त हुई थी। मुख्य परीक्षा के विषय में पूछने पर फिर बताया कि एफ०आई०आर० नहीं लिखी गयी थी। यह कहना गलत है कि उसने मित्रता में अपनी मोटर साइकिल किसी को दी हो और वापस मांगने पर उसने तहरीर दे दी हो। उसने किसी को मोटर साइकिल चुराते हुए नहीं देखा था और न ही पुलिस वालों ने उसके सामने कोई बरामदगी की। किसी को पहचनवाया भी नहीं।

31– इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–4 जो कि माल मुकदमाती मोटर साइकिल का वाहन स्वामी है,उसने अपनी मुख्य परीक्षा में वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर बताते हुए स्पष्ट रूप से बताया है कि उसकी मोटर साइकिल किस तारीख को किस स्थान से चोरी हुई थी जिसके सम्बन्ध में उसने प्रा०पत्र दिया था और मोटर साइकिल थाने में खड़ी होने की जानकारी मिलने पर उसने अदालत से अपना वाहन रिलीज करा लिया था। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था और उसने उनको सारी बातें बतायी थी, यह भी स्पष्ट रूप से बताया है। जिरह में उक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने अपनी मोटर साइकिल किसी को मित्रता में नहीं दी थी। इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान से अभियोजन कथानक का समर्थन होता है।

32– इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर जो तीन गवाह पेश किये गये है, उनमें से प्रथम गवाह वादी मुकदमा ने अपने साक्ष्य से यह साबित किया है कि कथित तारीख को, कथित समय पर, कथित स्थान से जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से माल मुकदमाती मोटर साइकिल बरामद हुई। नियमानुसार फर्द बरामदगी तैयार की गयी। मौके पर स्वतंत्र गवाह लेने का प्रयास किया गया, इस तथ्य की भी पुष्टि की है। साक्षी पी0 डब्लू0–3 चिक लेखक ने प्रस्तुत प्रकरण में नियमानुसार मुदकमा पंजीकृत किये जाने की पुष्टि की है। साक्षी पी0 डब्लू0–2 विवेचक ने अपने साक्ष्य से प्रस्तुत प्रकरण में विधिनुसार विवेचना किये जाने, आवश्यक गवाहों के बयान लिये जाने, मौके पर जाकर नक्शा नजरी तैयार करने तथा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये

जाने पर उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित करने की भी पुष्टि की है। इसके अलावा साक्षी पी०डब्लू०–4 जो कि प्रश्नगत वाहन का स्वामी है, उसने अपने साक्ष्य से यह साबित किया है कि प्रश्नगत मोटर साइकिल किस तारीख को और किस स्थान से चोरी हुई और उसी ने न्यायालय से प्रश्नगत मोटर साइकिल अपने पक्ष में रिलीज करायी। पत्रावली पर प्रश्नगत वाहन बबलू के पक्ष में रिलीज किये जाने का आदेश दिनांक 08–01–2019 संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन पंजीकरण सं०–UP31AJ6720 बबलू के पक्ष में रिलीज की गयी है। पत्रावली पर विवेचक द्वारा आहूत ए०आर०टी०ओ० कार्यालय लखीमपुर की आख्या दिनांकित 16–11–2018 मौजूद है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन पंजीकरण सं०–UP31AJ6720, चेचिस नम्बर MBLJA05EMF9E09148 तथा इंजन नम्बर JA05ECF9E06351 है, उसका पंजीकृत मालिक बबलू पुत्र शंकर लाल निवासी गुलरीपुरवा पो० बड़ागांव, थाना फूलबेहड़, जिला लखीमपुर खीरी है। जिससे यह साबित होता है कि दिनांक 09–11–2018 को जो प्रश्नगत वाहन अभियुक्त के पास से बरामद हुआ, उसका वाहन स्वामी अभियुक्त हासिम उर्फ मामा नहीं था बल्कि उक्त वाहन का स्वामी बबलू पुत्र शंकर लाल था जिससे यह साबित होता है कि अभियुक्त के पास घटना की तिथि पर घटना के समय कथित घटना स्थल से जो प्रश्नगत मोटर साइकिल बरामद हुई, वह चोरी की मोटर साइकिल थी। इस प्रकार अभियुक्त पर आरोपित धारा 411 भा०दं०सं० की पुष्टि होती है।

33– जहां तक अभियुक्त पर आरोपित धारा 379 भा०दं०सं० का प्रश्न है, वाहन स्वामी बबलू ने अपने प्रा०पत्र/तहरीर में यह अंकित नहीं किया है कि उसकी मोटर साइकिल किसने चोरी की। इसके अलावा उक्त वाहन स्वामी का साक्षी पी०डब्लू०–4 के रूप में जो साक्ष्य न्यायालय में हुआ है, उसमें भी उसने कहीं भी यह नहीं कहा है कि उसने किसी व्यक्ति को अपनी मोटर साइकिल चोरी करते हुए देखा हो। अभियोजन की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्षी पेश नहीं किया गया है जिसने प्रश्नगत मोटर साइकिल को अभियुक्त द्वारा चोरी करते हुए देखा गया हो। अतः अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 379 भा०दं०सं० की पुष्टि नहीं होती है।

34– जहां तक अभियुक्त पर आरोपित धारा 413 भा०दं०सं० का प्रश्न है, धारा 413 भा०दं०सं० के आरोप को साबित करने हेतु यह आवश्यक है कि अभियोजन यह साबित करे कि अभियुक्त चुरायी हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार करता है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना के समय अभियुक्त के पास से केवल एक चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुई। इसके अलावा घटना के समय अभियुक्त के पास से चोरी का और कोई सामान बरामद नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त अभियुक्त चोरी की मोटर साइकिल को किसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का प्रयास कर रहा हो या अन्य किसी प्रकार से उक्त चोरी की मोटर साइकिल का कोई व्यापार कर रहा हो। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर अभियुक्त को जो आपराधिक इतिहास पेश किया गया है उसमें भी घटना के वर्ष 2018 का या उससे पूर्व का कोई मामला अभियुक्त के विरूद्ध चोरी के सामान की बरामदगी का पंजीकृत नहीं पाया गया है। आपराधिक इतिहास में

अंकित मुकदमे वर्ष 2019, 2023, 2024 के हैं। अतः अभियुक्त को घटना के समय चोरी के सामान का अभ्यासतः व्यापार करने का दोषी नहीं माना जा सकता है। अतः अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 413 भा०दं०सं० की पुष्टि नहीं होती है।

35– जहां तक अभियुक्त पर आरोपित धारा 414 भा०दं०सं० का प्रश्न है, धारा 414 भा०दं०सं० के आरोप को साबित करने हेतु यह आवश्यक है कि अभियोजन यह साबित करे कि अभियुक्त ने चुराई हुई मोटर साइकिल को व्ययनित करने में स्वेच्छया सहायता की जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास था कि यह चुराई हुई सम्पत्ति है। प्रस्तुत प्रकरण में जिस समय अभियुक्त के पास से प्रश्नगत मोटर साइकिल बरामद हुई है, उस समय वह अकेला था। अतः उसने चोरी की मोटर साइकिल को व्ययनित करने में किसी की स्वेच्छया सहायता की हो, इसका कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में चोरी की मोटर साइकिल उस समय पकड़ी गयी जब अभियुक्त उसे चला रहा था, न की उक्त मोटर साइकिल को व्ययनित करने का प्रयास कर रहा था। अतः अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 414 भा०दं०सं० की पुष्टि नहीं होती है।

36– इस प्रकार अभियोजन की ओर से पत्रावली पर पेश किये गये मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों में से केवल धारा 411 भा०दं०सं० की पुष्टि होती है।

37– प्रस्तुत प्रकरण में हालांकि प्रश्नगत मोटर साइकिल की बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में साक्षी पी०डब्लू०–1, 2 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किन कारणों से किसी स्वतंत्र गवाह का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं लिया जा सका।

38– विधि व्यवस्था **अजमेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2010)3 एस ० सी०सी० 746 एस०सी०** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि स्वतंत्र गवाह न होने मात्र से रिकवरी को दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता।

39– विधि व्यवस्था **संदीप बनाम उ०प्र० राज्य (2012)6 एस०सी०सी० 107 एस०सी०** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तथा विधि व्यवस्था **तेजपाल बनाम उ०प्र० राज्य 2005 (53) एस०सी०सी० 319 इलाहाबाद** के वाद में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अभिमत दिया है कि यदि पुलिस पार्टी के समक्ष कोई रिकवरी होती है तो पब्लिक का गवाह न होने मात्र से उस रिकवरी को झूंठा नहीं माना जा सकता।

40– इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में दिये गये अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण में पब्लिक का गवाह न होने मात्र से अभियेाजन कथानक झूंठा नहीं माना जा सकता।

41– प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से आवश्यक गवाहों को साक्षी के रूप में पत्रावली पर पेश किया गया है जिन्होंने धारा 411 भा०दं०सं० के सम्बन्ध में अभियोजन कथानक को साबित किया है। हालांकि उनके बयानों में सूक्ष्म विसंगतियां भी हैं। चूंकि उक्त गवाहों का बयान घटना के कुछ वर्षों बाद हुआ है अतः उनके बयान में

सूक्ष्म विसंगतियां आना स्वभाविक है क्योंकि मनुष्य का दिमाग कम्प्यूटर की तरह नहीं है जो एक–एक बात को हमेशा उसी तरह से अपनी मेमोरी में रखेगा।

42– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बलवीर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए०आई०आर० 2019 एस०सी० 2983** के वाद में अभिनिर्धारित किया है कि काफी समय बाद यदि कोई साक्ष्य हो तो उसमें साधारण विसंगतियां आना स्वाभाविक है और उक्त विसंगतियों के आधार पर अभियोजन के साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है।

43– इस प्रकार अभियोजन कथानक में वर्णित घटना तथा अभियुक्त पर लगाए गए आरोप धारा 411 भा०दं०सं० की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य व अभियोजन प्रपत्रों से होती है। साक्षियों के बयान में जो सूक्ष्म विसंगतियाँ है उनका लाभ बचावपक्ष को नहीं दिया जा सकता।

44– इस प्रकार अभियोजन पक्ष पत्रावली पर अपनी ओर से पेश किए गए साक्ष्य से यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त को कथित तिथि को, कथित समय पर, कथित स्थान पर गिरफ्तार किये जाने पर उसके पास से चोरी की मोटर साइकिल बरामद की गयी, जिसे चोरी की जानते हुए भी अपने पास रखे हुए था।

45– इस प्रकार अभियोजन पक्ष विनिश्चयात्मक बिन्दु सं०–1 व 2 को उपरोक्तानुसार केवल धारा 411 भा०दं०सं० को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। तदनुसार विनिश्चयात्मक बिन्दु सं0–1 व 2 निस्तारित किये जाते है।

46– इस प्रकार विनिश्चयात्मक बिन्दु सं०– 1 व 2 के निस्तारण के अन्तर्गत दिये गये तथ्यों, परिस्थितियों व तर्को एवं विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में दिये गये अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त हासिम उर्फ मामा के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 411 भा०दं०सं० को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

47– उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त हासिम उर्फ मामा उसके विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 411 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

48– अभियुक्त हासिम उर्फ मामा को उसके विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 411 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

49– दोषसिद्ध न्यायिक अभिरक्षा में है तथा जिला कारागार से तलब होकर न्यायालय में उपस्थित है।

50– दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली 01:00 पी०एम० पर पेश हो।

दिनांक 11–08–2026

(मनोज कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2
लखीमपुर–खीरी।
J.O. Code UP06367

51– पत्रावली 01:00 पी०एम० पर दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं बचावपक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को दोषसिद्ध को दंड दिए जाने के प्रश्न पर सुना गया।

52– बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं दोषसिद्ध की तरफ से कथन किया गया है कि वह अभ्यस्त अपराधी नहीं हैं, वह पूर्व सजायाफता भी नहीं है। वह गांव का गरीब आदमी है। प्रस्तुत वाद करीब 07 वर्ष से लम्बित है जिसकी वजह से न्यायिक प्रक्रिया में उनका अत्यधिक समय व्यतीत हुआ है और आर्थिक क्षति भी हुई है। अतः उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाये।

53– इसके विपरीत अभियोजन पक्ष की तरफ से कथन किया गया कि दोषसिद्ध के पास से प्रस्तुत प्रकरण में चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुई है, जिसे चोरी की जानते हुए भी दोषसिद्ध ने अपने पास रखा। इसके अलावा अभियुक्त के आपराधिक इतिहास से स्पष्ट है कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्तित है और पेशेवर चोर है। अतः उसे अधिकतम दण्ड दिया जाये।

54– दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्षों के कथनों/तर्कों तथा पत्रावली के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि दोषसिद्ध के पास से प्रस्तुत प्रकरण में चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुई है, जिसे चोरी की जानते हुए भी दोषसिद्ध ने अपने पास रखा। इसके अलावा अभियुक्त के आपराधिक इतिहास से स्पष्ट है कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और पेशेवर चोर है, जैसाकि दोषसिद्ध के आपराधिक इतिहास से स्पष्ट है कि दोषसिद्ध हासिम उर्फ मामा के विरूद्ध आठ अन्य आपराधिक वाद पंजीकृत है जिनमें से सात चोरी व चोरी के सामान की बरामदगी से सम्बन्धित है। अतः दोषसिद्ध की आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए दोषसिद्ध प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

55– अतः प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध को, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायसंगत नहीं है।

56– उक्त परिस्थितियों में प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्यों, अपराध की प्रकृति तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध निम्नलिखित आदेशानुसार दण्डित किए जाने योग्य हैं।

<u>दण्डादेश</u>

57– दोषसिद्ध हासिम उर्फ मामा को उसके विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 379, 413, 414 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

58– दोषसिद्ध हासिम उर्फ मामा को उसके विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 411 भा०दं०सं० के अन्तर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा मु० 5,000/– (पांच हजार) रूपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में दोषसिद्ध को 10 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

59– इस मामले में दोषसिद्ध द्वारा अन्वेषण, जाँच तथा विचारण के दौरान

अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि, उक्त दण्डावधि में समायोजित की जायेगी।

60— दोषसिद्ध का कनविक्शन (सजायावी) वारन्ट अविलम्ब बनाया जाए।

61— इस निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाए एवं एक प्रति सम्बन्धित जेल प्रशासन को प्रेषित की जाए।

दिनांक 11—08—2026

(मनोज कुमार सिंह—द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०—2
लखीमपुर—खीरी।
J.O. Code UP06367

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 11—08—2026

(मनोज कुमार सिंह—द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०—2
लखीमपुर—खीरी।
J.O. Code UP06367

Digitally signed by MANOJ KUMAR SINGH
Date: 2026.08.11 16:34:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court